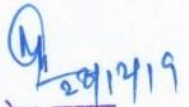


आवेदित वन भूमि तथा वन सस्य की क्षतिपूर्ति एवं समतुल्य गैर वानिकी क्षेत्र सम्बन्धी
प्रमाण पत्र

विषय:—जनपद चन्दौली में अस्थाई खण्ड (प्रधानमंत्री परियोजना), लोक निर्माण विभाग, चन्दौली (उ०प्र०), द्वारा प्रस्तावित प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (एल०डब्लू०ई०) के अन्तर्गत “नौगढ़—चकरघट्टा सम्पर्क मार्ग” कि.मी. 0.000 से 7.500 तक के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु कुल 6.75 हेक्टे० वनभूमि के गैर वानिकी उपयोग की अनुमति हेतु प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि “नौगढ़—चकरघट्टा सम्पर्क मार्ग” की कुल लम्बाई 7.500 किमी० तथा चौड़ाई 9.00 मी० है। सम्पर्क मार्ग में 7.500 किमी० एवं 9.00 मी० चौड़ाई अर्थात् 6.75 हे० में वन क्षेत्र पड़ रहा है। आवेदित वन भूमि तथा वन सस्य की क्षतिपूर्ति एवं समतुल्य गैर वानिकी क्षेत्र का वन विभाग को हस्तान्तरित करने तथा इस वन भूमि पर वृक्षारोपण की योजना तथा वृक्षारोपण पर होने वाले व्यय का वहन करने हेतु याचक विभाग वचनबद्ध है।


मिथिलेश कुमार
अधिशाली अभियन्ता
अस्थायी खण्ड (प्र०प०)
लो०नि०वि० चन्दौली